प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ 6

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला, चौकी, एसीबी, अजमेर , थाना, सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष–2019
प्र0इ0रि0 सं. ....दिनांक 221 18/8/2023

2. (अ)अधिनियम :–धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्र0नि0अधिनियम 1988....धारायें 7, 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018

(ब) अधिनियम ....भा.दं.सं.........धारायें 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भा.दं.सं.

(स) अधिनियम ....धारायें ....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....341.......... समय ....3:30 pm....

(ब) अपराध घटने का दिन–वर्ष 2016 से 2020 तक

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचनाकी किस्म :– लिखित /मौखिक –लिखित

5. घटनास्थलः–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–एसीबी चोकी अजमेर से उततर पश्चिम दिशा में 40 किमी

(ब) पता – निम्बोला विश्वा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं...

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i) परिवादी :–

(अ) नाम– श्री नैनूराम

(ब) पिता/पति का नाम–श्री देवकरण

(स) जन्म तिथी/ वर्ष 48 साल

(द) राष्ट्रीयता– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय – वकालात

(ल) पता– निम्बोला विश्वा, तुहसील रियांबडी, जिला नागौर हाल सूदवाड बस स्टेण्ड, मु.पो. भेरून्दा तहसीलर रियांबडी जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1. श्री रामचन्द्र बिसु पुत्र श्री शिव करण जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सूदवाड, पंचायत समिति रियाबडी, जिला नागौर।
2. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियांबडी जिला नागौर तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निम्बोला, पंचायत समिति रियाबडी, जिला नागौर।
3. श्री मंशाराम पुत्र श्री भंवरराम जाति जाट उम्र 39 वर्ष निवासी पादू खुर्द तहसील रियाबडी जिला नागौर तत्कालीन व्यवस्थापक निम्बोला बिस्वां ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील रियाबडी जिला नागौर हाल व्यवस्थापक सूदवाड, पादूखुर्द झडउ कलां, मेडास की ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
4. श्री मूलाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
5. श्री सुनील पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
6. श्रीमती गीता देवी पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
7. श्रीमती सुमन पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
8. श्री गिरधारी पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
9. श्री पूनाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।
10. श्री सफी मोहम्मद चौहान पुत्र श्री जंवरूदीन चौहान निवासी पादूखुर्द, तहसील रियाबडी जिला नागौर। व्यवस्थापक

11. श्रीमती संतोष पत्नी पूनाराम जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।

12. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य....पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....

.....

11. .....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

परिवादी श्री नेनूराम पुत्र श्री देवकरण निवासी गांव निम्बोला बिश्वा, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर हाल निवासी सूदवाड बस स्टेण्ड के पास मु.पो. भैरुन्दा जिला नागौर ने परिवाद इस आशय का पेश किया कि अजमेर संभाग के नागौर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सूदवाड व निम्बोला विश्वा के व्यवस्थापक व अध्यक्ष ने गंभीर भ्रष्टाचार करते हुए स्वयं के एक ही परिवाद के सदस्यों को कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उन्हें ब्याज का ऋण का भुगतान करके बाद में ऋण माफी का लाभ दिया जाकर गंभीर घोटाला किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाडा व निम्बोला विश्वा के व्यवस्थापक व अध्यक्ष के द्वारा भ्रष्टाचार करना प्रबन्धक निदेशक सी. सी.बी. नागौर द्वारा की गई जांच में साबित हुआ है। अध्यक्ष ने अपने परिवार के सदस्यों को ही जिनके नाम जमीन है ही नहीं उनको एक–एक लाख रूपये का ऋण दिया व ऋण माफी का गलत लाभ दिया। मंजू देवी पत्नी रामचन्द्र, मूलाराम पुत्र रामचन्द्र, सुनील पुत्र रामचन्द्र, गीता देवी पत्नी मूला राम, सुमन पत्नी सुनील ने जमीन होने का झूठा कूटरचित प्रमाण पत्र पेश किया है, जो खतोनी/जमाबन्दी से मिलान से साबित है। व्यवस्थापक मंशाराम पुत्र श्री भंवरराम ने व अध्यक्ष रामचन्द्र व मंजूदेवी ने मिलकर झूठी कूटरचित जमीन बताकर ऋण लाभ दिया है। रामचन्द्र पुत्र शिवकरण, मंजू देवी पत्नी रामचन्द्र, मूलाराम पुत्र रामचन्द्र, सुनील पुत्र रामचन्द्र, गीता देवी पत्नी मूलाराम, सुमन पत्नी सुनील झूठी साख सीमा बताई गई है। चार सदस्य राज्य कर्मचारियों को नियम विरूद्ध ऋण माफी का लाभ दिया गया है। रामचन्द्र एवं मंजू देवी ने तीसरी संतान होने का तथ्य छुपाकर झूठा शपथ पत्र देकर चुनाव में भाग लिया तथा मंजू देवी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष ने अपने चचेरे भाई के पुत्रों को नियम विरूद्ध उनके नाम जमीन नहीं होने पर भी ऋण दिया। मनोनीत अध्यक्ष को तीन माह के लिये चुना था, बाकि जिलों में चुनाव पुनः तीन माह बाद करवा दिये, जबकि उप रजिस्ट्रार नागौर द्वारा चुनाव नहीं करवाकर इनको भ्रष्टाचार करने का मौका दिया गया आदि। जिसकी जांच मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरम्भ की गई तो पाया कि आरोपी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री शिवकरण जाट ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाड के अध्यक्ष पद पर दिनांक 30.07.11 को निर्वाचित हुआ था जो दिनांक 21.07.2020 तक उक्त पद पर कार्यरत था व आरोपी श्री रामचन्द्र की पत्नि आरोपिता श्रीमती मंजू देवी ग्राम-सेवा सहकारी समिति नींबोला बिस्वा के अध्यक्ष पद पर दिनांक 08.12.2015 से दिनांक 21.07.2020 तक कार्यरत रही है। आरोपी श्री मंशाराम दिनांक 01.07.2015 से आज दिवस तक व्यवस्थापक के पद पर सुदवाड, ग्राम सेवा सहकारी समिति, दिनांक 16.01.2016 से 03.12.2019 तक व्यवथापक के पद पर नींबोला बिस्वां ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील रियाबडी जिला नागौर तथा वर्तमान में 06.04. 2018 से कार्यवाहक सुपरवाईजर के पद पर भी कार्य कर रहा है। साख नीति के अनुसार दस्तावेजीकरण में केवाईसी नॉर्म्स के आधार पर दस्तावेज, सदस्य द्वारा किया गया आवेदन समिति द्वारा सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति, बॉण्ड एवं प्रतिभूति पत्र, सदस्य द्वारा प्रस्तुत स्वयं के नाम की जमीन की जमाबन्दी व नामान्तकरण करने की

फोटो प्रति दो प्रतियों में प्राप्त कर एक प्रति बैंक शाखा में प्रस्तुत करने, अन्य वित्तीय संस्था से अल्पकालिन कृषि ऋण नहीं लेने का घोषणा पत्र ईत्यादि दस्तावेज प्राप्त किये जाने होते है। (1) श्री रामचन्द्र बिस्सु पुत्र श्री शिवकरण जाट के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटबारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 52,54,55 की 12 बीघा जमीन में दो हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने दिनांक 23.05.18 को 1,40,000 रू0 ऋण साख सीमा वर्ष 2018–19 के लिए सिफारिश की। दिनांक 23.05.18 को ही श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की। ऋण पत्रावलियों में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था। श्री रामचन्द्र को 1,42,803 रू0 का ऋण स्वीकृत हुआ था। (2) श्रीमती मंजू देवी पत्नि रामचन्द्र बिस्सु(जाट) के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 52,59 की 150 बीघा जमीन में से 2.05 हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,50,000 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था। श्रीमती मंजू देवी को दिनांक 26.05.16 को फसल बीमा सहित 81,967 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 50,000 रू0 ऋण माफ हुआ था। शेष राशि ऋणी द्वारा जमा करवा दी गई थी। पुनः दिनांक 30.11.18 को 1,00,540 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 20.06.20 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्रीमती मंजू देवी को कुल 1,50,540 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। (3) श्री मूलाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाट के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 51,52 की 150 बीघा जमीन में से 2.05 हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,50,000 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था। श्री मूलाराम को दिनांक 27.07.16 को फसल बीमा सहित 81,967 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 50,000 रू0 ऋण माफ हुआ था। शेष राशि ऋणी द्वारा जमा करवा दी गई थी। पुनः दिनांक 30.11.18 को 1,00,540 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 20.06.20 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्री मूलाराम को कुल 1,50,540 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। (4) श्री सुनील पुत्र श्री रामचन्द्र जाट के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 51,52,53 की 150 बीघा जमीन में से 2 हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,50,000 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी

दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था। श्री सुनील को दिनांक 12.05.16 को फसल बीमा सहित 81,967 रू0 का ऋण दियॉ गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 50,000 रू0 ऋण माफ हुआ था। शेष राशि ऋणी द्वारा जमा करवा दी गई थी। पुनः दिनांक 30.11.18 को 1,00,540 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 20.06.20 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्री सुनील को कुल 1,50,540 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। (5) श्रीमती गीता देवी पत्नि मूलाराम जाट (श्री रामचन्द्र की पुत्र वधु) के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 53,54 की 150 बीघा जमीन में से 2 हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,50,000 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था।श्रीमती गीता देवी को दिनांक 12.05.16 को फसल बीमा सहित 81,967 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 50,000 रू0 ऋण माफ हुआ था। शेष राशि ऋणी द्वारा जमा करवा दी गई थी। पुनः दिनांक 30.11.18 को 1,00,540 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 20.06.20 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्रीमती गीता देवी को कुल 1,50,540 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। (6) श्रीमती सुमन पत्नि श्री सुनील (श्री रॉमचन्द्र की पुत्र वधु) के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 53 की 20.02 बीघा जमीन में से 2 हैक्टर हिस्सा होना अंकित है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,50,000 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। श्री मंशाराम ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,50,000 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। ऋणी के आवेदन पत्र पर ही हल्का पटवारी से प्रमाणीकरण करवाया गया था। श्रीमती सुमन को दिनांक 30.05.16 को फसल बीमा सहित 81,967 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 50,000 रू0 ऋण माफ हुआ था। शेष राशि ऋणी द्वारा जमा करवा दी गई थी। पुनः दिनांक 30.11.18 को 1,00,540 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 20.06.20 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्रीमती सुमन को कुल 1,50,540 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है।

इस प्रकार श्री रामचन्द्र तत्कालीन अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाड, श्रीमती मंजू देवी तत्कालीन अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बोला बिस्वां ने ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बोला बिस्वा के व्यवस्थापक श्री मंशाराम से आपस में मिलीभगत कर अपने परिवार के कुल 6 सदस्यों के नाम ऋण स्वीकृत किये। जबकि श्री रामचन्द्र अध्यक्ष के अलावा किसी के नाम राजस्व रेकार्ड में जमीन का होना नहीं पाया गया है। तत्कालीन हल्का पटवारी श्री सलीम खान ने अपने कथनो में रामचन्द्र के आवेदन पत्र के अलावा सभी आवेदन पत्रों पर पटवारी की रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होना बताया तथा उसके नाम से फर्जी हस्ताक्षर करना बताया।

इसी प्रकार श्री देवकरण पुत्र श्री पेमाराम निवासी निम्बोला बिस्वा जो कि वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है को दिनांक 16.08.18 को फसल बीमा सहित 30,413 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसने वापस दिनांक 31.03.19 को सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवा दी है। देवकरण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में पटवारी के प्रमाण पत्र अनुसार 1.60 हैक्टर भूमि होने का अंकन है। हल्का पटवारी ने अपने कथनो में पटवारी की रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है।

इसी प्रकार गिरधारी पुत्र गणेश के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में खसरा नं0 238 रकबा 18 बीघा जमीन में से 18 बीघा हिस्सा होना अंकित है, परन्तु पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है एव ना ही जमाबन्दी संलग्न है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 1,20,960 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। शफीक मौहम्मद ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 1,20,960 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। श्री गिरधारी को दिनांक 02.06. 17 को फसल बीमा सहित 10,524 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08. 06.18 को 10,524 रू0 ऋण माफ हुआ था। पुनः दिनांक 11.07.18 को 30,413 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 15.06.19 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्री गिरधारी को कुल 40,937 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। बिना पटवारी की रिपोर्ट व बिना जमाबन्दी के नियम विरूद्ध ऋण देकर लाभ पहुचाया गया।

पुनाराम पुत्र गणेश के ऋण आवेदन पर तारीख का अंकन नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में खसरा नं0 238 रकबा 3 बीघा जमीन में से हिस्सा का स्थान खाली है, परन्तु पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं ना ही जमाबन्दी संलग्न है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 20,160 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। शफीक मौहम्मद ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 20,160 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण पत्रावली में ऋणी से जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की फोटो प्रति नहीं ली गई। पुनाराम को दिनांक 29.06.17 को फसल बीमा सहित 10,407 रू0 का ऋण दिया गया था, जिसमे से दिनांक 08.06.18 को 10,407 रू0 ऋण माफ हुआ था। पुनः दिनांक 26.08.18 को 20,339 रू0 का स्वीकृत हुआ जिसमे से दिनांक 15.06.19 को सम्पूर्ण राशि माफ हो गई। इस प्रकार श्री पुनाराम को कुल 30,746 रू0 ऋण माफी का लाभ हुआ है। बिना पटवारी की रिपोर्ट व बिना जमाबन्दी के नियम विरूद्ध ऋण देकर लाभ पहुचाया गया।

श्रीमती सन्तोष पत्नि पुनाराम जाट के ऋण आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में खसरा नं0 का अंकन नहीं होकर किता 19 लिखा हुआ है एवं कुल रकबा 2 बीघा जमीन में से 2 बीघा हिस्सा होना अंकित है। पटवारी की रिपोर्ट के स्थान पर सलीम खान के हस्ताक्षर है परन्तु सलीम खान ने हस्ताक्षर अपने होना नहीं बताया। पत्रावली में ना ही जमाबन्दी संलग्न है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 13,440 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। शफीक मौहम्मद ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 13,440 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं

है। ऋण माफी के सम्बन्ध में रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।बिना जमाबन्दी के नियम विरूद्ध ऋण देकर लाभ पहुचाया गया।

इसी प्रकार श्रीमती रामेश्वरी पत्नि गिरधारी के ऋण आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में खसरा नं0 का अंकन नहीं होकर किता 19 लिखा हुआ है एवं कुल रकबा 2 बीघा जमीन में से 2 बीघा हिस्सा होना अंकित है। पटवारी की रिपोर्ट के स्थान पर सलीम खान के हस्ताक्षर है परन्तु सलीम खान ने हस्ताक्षर अपने होना नहीं बताया। पत्रावली में ना ही जमाबन्दी संलग्न है। मंशाराम व्यवस्थापक ने 13,440 रू0 ऋण साख सीमा के लिए सिफारिश की। शफीक मौहम्मद ऋण पर्यवेक्षक दी नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक रियाबडी नागौर द्वारा 13,440 रू0 की ऋण साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश की है। व्यवस्थापक ने साख सीमा वर्ष का अंकन नहीं किया एवं ना ही दिनांक अंकित की है। सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी दस्तावेज पर दिनांक का अंकन नहीं है। ऋण माफी के सम्बन्ध में रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। बिना जमाबन्दी के नियम विरूद्ध ऋण देकर लाभ पहुचाया गया।

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम सूदवाड के अध्यक्ष रामचन्द ने दिसम्बर,2011 में हुए चुनाव में तीसरी संतान होने का तथ्य छुपाकर चुनाव में भाग लिया था जो गलत था इसी प्रकार नवगठित समिति निम्बोला बिस्वा की मनोनीत अध्यक्ष मंजू देवी पत्नि रामचन्द्र ने भी तीसरी संतान का तथ्य छिपाकर अध्यक्ष बनी थी जो इनके द्वारा तथ्य छुपाकर अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे बाद में इनको तीन संतान होने के कारण उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर ने दिनांक 21.07.2020 को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

सम्पूर्ण जांच बयानात गवाहान एवं अभिलेखिय साक्ष्य से पाया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बोला बिस्वा की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी पत्नि रामचन्द्र ने अपने पति श्री रामचन्द्र अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाड तहसील रियाबडी जिला नागौर ने व्यवस्थापक श्री मंशाराम व सुपरवाईजर श्री शफीक मौहम्मद से आपस में मिलीभगत कर अपने अपने पदो को दुरुपयोग कर श्री रामचन्द्र के अतिरिक्त अन्य सभी अपने परिवार के सदस्यों के नाम राजस्व रेकार्ड में जमीन ना होते हुए भी बिना जमाबन्दी प्राप्त किये पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में पटवारी की ओर से फर्जी रिपोर्ट कर तत्कालीन हल्का पटवारी श्री सलीम खान के फर्जी हस्ताक्षर कर सभी के ऋण स्वीकृत कर ऋण माफी का लाभ देकर राजकोष को 8,24,383 रू0 की हानि पहुचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण सर्वश्री श्रीमती मंजू तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बोला बिस्वा, श्री रामचन्द्र तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाड, तहसील रियाबडी, जिला नागौर, श्री मंशाराम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बोला बिस्वा एवं ऋण पर्यवेक्षक श्री शफीक मौहम्मद दी नागौर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा रियाबडी जिला नागौर एवं लाभार्थी श्री मूलाराम, श्री सुनील, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती सुमन, श्री गिरधारी, श्री पुनाराम, श्रीमती सन्तोष एवं श्रीमती रामेश्वरी के विरुद्ध जुर्म धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्र0नि0अधिनियम 1988.... धारायें 7, 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भा.दं.सं में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 7, 13(1)(ए),13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रामचन्द्र बिसु तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सूदवाड, पंचायत समिति रियाबडी, जिला नागौर 2. श्रीमती मन्जू देवी तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, निम्बोला, पंचायत समिति रियाबडी, जिला नागौर 3. श्री मंशाराम तत्कालीन व्यवस्थापक, निम्बोला बिस्वां ग्राम सेवा सहकारी समिति, रियाबडी, जिला नागौर हाल व्यवस्थापक सूदवाड, पादूखुर्द झडउ कलां, मेडास की ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 4. श्री मूलाराम पुत्र रामचन्द्र निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 5. श्री सुनील पुत्र रामचन्द्र निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 6. श्रीमती गीता देवी पत्नी मूलाराम निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 7. श्रीमती सुमन पत्नी सुनिल निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 8. श्री गिरधारी पुत्र गणेशाराम निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 9. श्री पूनाराम पुत्र गणेशाराम निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी, जिला नागौर 10. श्री सफी मोहम्मद चौहान पुत्र श्री जंवरूदीन चौहान निवासी पादूखुर्द, तहसील रियाबडी जिला नागौर 11. श्रीमती संतोष पत्नी पूनाराम निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर 12. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी गिरधारी निवासी निम्बोला कलां, तहसील रियाबडी जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 221/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18/8/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2577-83 दिनांक 18.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. अध्यक्ष, बाडीघाटी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बाडीघाटी।
4. अध्यक्ष, रियांबड़ी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 रियांबड़ी।
5. सचिव, जिला परामर्शदात्री समिति एवंम अधिशाषी अधिकारी एनसीसीबी, नागौर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, परिवाद (प.सं. 91/2020)

18/8/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।